# शोध सारांश

प्रस्तुत शोध का विषय है- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस का रवैया विशेष संदर्भ: हरियाणा (कुरुक्षेत्र)। इस शोध में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस के विचारों को व्यावहारिक स्तर पर जानने का प्रयत्न किया गया है। शोध से संबन्धित प्रश्न थे - महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के विषय में पुलिस के क्या विचार हैं ? महिला विरुद्ध अपराधों में पुलिस किस प्रकार कारवाई करती है ? इस प्रकार के अपराधों में महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी का रवैया किस प्रकार भिन्न होता है ? पुलिस विभाग में जेंडर संवेदनशील प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस की गंभीरता या संवेदना को जानना, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में पुलिस की भूमिका को जानना, इस तरह के मामलों में कारवाई करते समय पुलिस के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानना और नये कानूनों व जेंडर संवेदनशील प्रशिक्षण के व्यावहारिक प्रभावों को जानना इस शोध के उद्देश्य थे।

प्रस्तुत विषय का चुनाव करने के पीछे का कारण इस विषय के प्रति मेरी रुचि व महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पुलिस की भूमिका को जानने की मेरी उत्सुकता रही।

इस शोधकार्य हेतु साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया। शोध क्षेत्र के रूप में कुरुक्षेत्र (हरियाणा) को चुना गया। कुरक्षेत्र को शोध क्षेत्र चुनने का मुख्य कारण है - मेरा वहाँ के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से अच्छी तरह से परिचित होना और शोध हेतु भाषा के स्तर पर भी उचित सम्प्रेषण की आवश्यकता। शोध गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकार से करने का प्रयास किया गया है। डाटा स्त्रोत प्राथमिक व द्वितीयक दोनों का प्रयोग मैंने शोध कार्य हेतु किया है। कुरुक्षेत्र जिले में कुल 9 पुलिस स्टेशन है जिनमें से 5 स्टेशन को उद्देश्यपूर्ण चयन विधि द्वारा चुना गया। शोध क्षेत्रकार्य के दौरान 15 पुलिसकर्मियों से साक्षात्कार किया गया।

प्रस्तुत शोध का प्रथम अध्याय है **'महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं पुलिस की भूमिका'** जिसमें वर्तमान समय में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की स्थिति को देखते हुए पुलिस के संपर्क में आने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इन कानूनों के पीछे

पुलिस हिंसा के विरोध में महिला आन्दोलनों के एक लंबे संघर्ष व इतिहास को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार इन आन्दोलनों ने वर्तमान कानूनों में सुधार हेतु बदलाव व महिला अधिकारों को जगह दिलवाई। अध्याय के अंत में इन कानूनी सुधारों के बावजूद भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटित होने वाले अपराधों का जिक्र किया गया है।

द्वितीय अध्याय **'महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति पुलिस का दृष्टिकोण एवं जेंडर प्रशिक्षण'** में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों से साक्षात्कार के दौरान की गई बातचीत के अंश रखे गए हैं और इन्हीं अंशों के आधार पर पुलिस के रवैये को लेकर कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। पुलिस के दृष्टिकोण का संबंध जेंडर प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ दर्शाने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है।

**'महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में पुलिस की सक्रियता एवं बाधाएँ'** तृतीय अध्याय है जिसमें पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने हेतु अपनाई जा रही मुख्य रणनीतियों की जानकारी दी गयी। अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पुलिस कारवाई में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है व इन समस्याओं के हल हेतु सुझाव भी दिये गए हैं।

उपसंहार में पूरे शोध का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका व रवैये पर बात रखी गयी है। पुलिस के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गयी है। कुल मिलाकर यहाँ पूरे शोध का निचोड़ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रस्तुत शोध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि पुलिस में बदलाव जरूर हो रहे हैं परंतु ये परिवर्तन प्रतीकात्मक हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर पुलिस को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पुलिस व्यवस्था में जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में समाज व प्रशासन को भी अनिवार्य रूप से संवेदनशील होकर पुलिस का सहयोग करना चाहिए।